प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः-26.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

सावन माह के प्रथम सोमवार के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शिवालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जलाभिषेक कराया जा रहा है

आज दिनांक 26/07/2021को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में सावन माह के प्रथम सोमवार के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस के समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मन्दिरों में शातिं व्यवस्था के तहत पुलिस बल को तैनात किया गया है । कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जलाभिषेक कराया जा रहा है एवं श्रद्धालुओं को कोविड़-19 नियमों के प्रति जागरुक किया जा रहा है ।

थाना अजनर पुलिस टीम ने पत्नी की हत्या करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोंकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर SHO श्री अभिमन्यू यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने अभियुक्त ग्या प्रसाद उम्र 50 वर्ष जिसके द्वारा दिनांक 25.07.2021 को अपनी पत्नी श्रीमती प्यारी देवी उम्र 45 वर्ष निवासी कस्बा/थाना अजनर की आपसी विवाद में कुल्हाडी मारकर हत्या कर मौके से भाग गया। जिस पर थाना अजनर में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 135/2021 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया जिसके क्रम में आज दिनांक 26.07.2021 को घटना से सम्बन्धित अभियुक्त ग्याप्रसाद पुत्र कलुवा कुशवाहा उम्र 50 को वड़खेरा बांध के पास पहाडिया से मय आलाकत्ल हत्या में प्रयुक्त कुल्हाडी भी बरामद करते हुये गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. SHO थाना अजनर श्री अभिमन्यु यादव।
2. रि.का. अभिषेक मौर्या 3.रि.का. उमेश प्रजापति
4.का. आसवेन्द्र सिंह थाना अजनर जिला महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...।

ग्याप्रसाद पुत्र कलुवा कुशवाहा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम अजनर थाना अजनर जिला महोबा

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:-26.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध पर अंकुश एवं शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के नेतृत्व में चलाये जा रहे अपराधियों के सत्यापन/अवैध शस्त्र धारक अपराधियो की चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 25.07.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ द्वारा गठित चौकी बेलाताल प्रभारी उ0नि0 श्री अनमोल सिंह के द्वारा अभियान में शामिल होकर 01 नफर अभियुक्त संजय यादव पुत्र श्याम सिंह उम्र करीब 27 वर्ष को ग्राम बछेछर खुर्द स्कूल के पास से हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अवैध बरामद करते हुये अभियुक्त के विरूद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 171/2021 धारा 3/25 ARMS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हुते भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...।

संजय यादव पुत्र श्याम सिंह उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम बछेछर खुर्द थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अनमोल सिंह (चौकी प्रभारी बेलाताल)
2. कां0 रोहित कुमार 3. कां0 रविशंकर पाल

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:-26.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

थाना कबरई पुलिस टीम ने वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोंकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह के द्वारा गठित ने थाना हाजा पर पंजीकृत 224/2021 धारा 342/376/504/506/307 भादवि व 3(1)द, 3(1)द, 3(2)5, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट थाना कबरई मे वांछित चल रहे अभि0. भारत कुशवाहा पुत्र स्व0 मुन्ना कुशवाहा उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 25.07.2021 को थाना कबरई क्षेत्र के मौहल्ला रानी लक्ष्मीबाई नगर में एक वृद्ध महिला के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने के बाद हत्या की सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस टीम पहुंची तथा पाया गया कि बुजुर्ग महिला मृत नहीं हैं बल्कि घायल अवस्था में हैं, जिनको जिला अस्पताल महोबा में उपचार हेतु भेजा गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, पीड़िता ने इलाज के दौरान पूछतांछ में बताया कि पड़ोस के रहने वाले भारत कुशवाहा पुत्र मुन्ना उम्र लगभग 45 वर्ष के द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने का प्रयास किया, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुये आज दिनांक 26.07.2021 को अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 सुरेन्द्र शुक्ला
2. कां0 राघवेन्द्र सिंह 3. कां0 राहुल रंजन

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

भारत कुशवाहा पुत्र स्व0 मुन्ना कुशवाहा उम्र 40 वर्ष निवासी मु0 रानीलक्ष्मी बाई नगर कस्वा व थाना कबरई जिला महोबा

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:-26.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

बिना नम्बर के चल रहे वाहनों को रोंक कर यातायात पुलिस ने अभियान के तहत लिखवाये नम्बर...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर आज दिनांक 26.07.2021 को **'सड़क सुरक्षा सप्ताह' (22 जुलाई से 28 जुलाई)** के दृष्टिगत आज पांचवे दिन निर्धारित कार्यक्रम के क्रम में जनपदीय यातायात पुलिस टीम द्वारा वाहनों की सघन चेकिंग की गयी, चेकिंग के दौरान प्रमुख रुप जो वाहन बिना नम्बर प्लेट के आवागमन कर रहे थे उनको रोंका गया, जिसमें बहुतायत संख्या में ट्रैक्टरों को रोंका गया व पेन्टर को बुलाकर कुल 30 से अधिक ट्रैक्टरों में नम्बर लिखवाया गया तथा सभी को सख्त हिदायत देते हुये सभी को यातायात नियमों से अवगत कराया गया।

इस अवसर पर प्रभारी यातायात श्री अरविन्द मिश्रा द्वारा सभी वाहन स्वामियों/चालकों को जागरुक करते हुये कहा गया कि आप सभी वाहन को नियंत्रित गति के साथ ही चलायें और अपने जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभायें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके साथ ही सभी को प्रोत्साहित करते हुये कहा गया कि अपने परिवारीजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी हेलमेल, सीटबैल्ट व यातायात नियमों का पालन करने के लिये जागरुक करें।

खरेला पुलिस टीम ने छेड़छाड़ के वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

आज दिनांक 26.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र0नि0 खरेला अनूप कुमार दुबे द्वारा टीम गठित ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 79/21 धारा 452/354क/506 आईपीसी व 08 पाक्सो एक्ट** में वाँछित अभियुक्त विपिन राजपूत पुत्र शिवभूपन राजपूत उम्र करीब 30 वर्ष, नि0 ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

विपिन राजपूत पुत्र शिवभूपन राजपूत उम्र करीब 30 वर्ष, नि0 ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 सुमेर सिंह
2. का0 शिव कुमार मौर्या

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:-26.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

खरेला पुलिस टीम ने अवैध शराब सहित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार

आज दिनांक 26.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत प्र0नि0 खरेला अनूप कुमार दुबे द्वारा टीम गठित आबकारी/पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता प्रेमलता पत्नी मोती लाल सिंह उम्र करीब 50 वर्ष, नि0 कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा को **25 अदद अवैध क्वार्टर देशी ठेका शराब** सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना हाजा पर **मु0अ0सं0 88/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम** के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

प्रेमलता पत्नी मोती लाल सिंह उम्र करीब 50 वर्ष, नि0 कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस/आबकारी टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह
2. श्री योगेश कुमार गुप्ता (आबकारी निरीक्षक)
3. हे0का0 राजेश प्रसाद

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः-26.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल

क्षेत्राधिकारी चरखारी के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके धार्मिक-स्थलो पर की गई संदिग्धों की चेकिंग

थाना खरेला पुलिस द्वारा "सड़क सुरक्षा सप्ताह" के तहत लोगो को यातायात नियमो की गई जानकारी

आज दिनाँक 26.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में सावन माह में मन्दिरो में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र मय चरखारी पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र के मन्दिर/धार्मिक-स्थलों पर पैदल गस्त करके संदिग्धों की चेकिंग की गई एवं लोगो को कोविड - प्रोटोकॉल के तहत त्यौहारो को मनाने की अपील की गई।

प्र0नि0 खरेला अनूप दुबे मय टीम द्वारा **"सड़क सुरक्षा सप्ताह" (22-28 जुलाई)** तक चलाने वाले अभियान के तहत वाहन चालको को यातायात नियमो के जागरुक करते हुए हेलमेट/शीट बेल्ट का प्रयोग, क्षमता से अधिक सवारी न बैठालने, शराब/नशा करके गाड़ी न चलाने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने आदि नियमो की जानकारी दी गई।

यातायात नियमो के उल्लंघन पर **50 ई-चालान** व कोविड-19 नियमो के उल्लंघन पर **26 व्यक्तियों से 3000/रु0 शुल्क वसूला गया।**